Company Law को Ist **Unit-1**

कम्पनी की परिभाषा

न्यायाधीश जेम्स के अनुसार," कम्पनी का आशय व्यक्तियों के ऐसे संघ से है जो एक सामाजिक उद्देश्य के लिए संगठित हुए हो।

लार्ड लिण्डले के अनुसार," कम्पनी व्यक्तियों का समूह है। जो कि द्रव्य या द्रव्य के बराबर अंशदान एक संयुक्त कोष में जमा करते हैं और इसका प्रयोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए करते हैं। (यह परिभाषा अपूर्ण है।)

कम्पनी की विशेषताएँ एवं लक्षण

पंजीकृत स्वैच्छिक संघः- कम्पनी की प्रथम विशेषता यह है। कि यह व्यक्तियों का पंजीकृत या समामेलित स्वैच्छिक संघ है। जिसका निर्माण तभी सम्भव होता है। जब कुछ व्यक्ति स्वच्छा से कम्पनी बनाने के लिये सहमत होते हैं तथा उसका कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीयन कराते हैं।

एकाकी कम्पनी के निर्माण के लिये कम से कम दो तथा सार्वजनिक कम्पनी के लिए कम से कम व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है।

पृथक वैधानिक अस्तित्वः- कम्पनी का अपने अंशधारियों (सदस्यों) से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। परिणामस्वरूप कम्पनी अपने सदस्य के साथ कोई भी अनुबन्ध कर सकती है एवं सदस्य कम्पनी के साथ अनुबन्ध कर सकते हैं। कम्पनी अपने सदस्यों पर मुकदमा चला सकती है और सदस्य भी उस पर मुकदमा चला सकते हैं इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा किये गये कार्यों के लिए

28/12/21

अंशधारी या सदस्य उत्तरदायी नहीं होते हैं इंग्लैण्ड के हाउस ऑफ लार्ड्स ने सालोमन एण्ड कं० के मामले में इसी सिद्धान्त को अपना तथा सदस्यों को कम्पनी से पृथक माना था

* स्थायी अस्तित्व :- कम्पनी का अस्तित्व स्थायी होता है अर्थात कम्पनी का जीवन सदस्यों के जीवन पर निर्भर नहीं करता। कम्पनी के किसी सदस्य की मृत्यु दिवालिया या पागल हो जाने या किसी सदस्य द्वारा कम्पनी से अलग होने का कम्पनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता अर्थात कम्पनी निरन्तर चलती रहती है वस्तुतः कम्पनी के सदस्यों में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन हो, कम्पनी का जीवन समाप्त नहीं होता है और वह स्थायी रूप से कार्य करती रहती है।

* सार्वमुद्रा :- सार्वमुद्रा का आशय कम्पनी के नाम की मुहर से होता है। कृत्रिम व्यक्तित्व होने के कारण कम्पनी स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकती क्योंकि इसका भी भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। कम्पनी का कार्य कम्पनी के संचालक, सचिव व प्रबन्ध संचालकों आदि के द्वारा किया जाता है और ये व्यक्ति कार्य करते समय कम्पनी की मुहर लगा देते हैं तभी उनके द्वारा किये गये कार्य कम्पनी द्वारा किये गये कार्य माने जायेंगे और कम्पनी उनसे बाध्य होगी। इस प्रकार कम्पनी की मुहर कम्पनी के हस्ताक्षर हैं जिन प्रपत्रों, दस्तावेजों व प्रलेखों पर कम्पनी की मुहर नहीं लगी होती है, वे कम्पनी के नहीं माने जाते हैं।

सीमित दायित्व :-

कम्पनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किये गये अंशों की राशि तक सीमित होता है। कम्पनी अंशों द्वारा सीमित या गारण्टी द्वारा सीमित हो सकती है। अंशों द्वारा सीमित कम्पनी की दशा में कम्पनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए गये अंशों की मदत्त राशि तक ही सीमित होता है। अतः यदि किसी अंशधारी ने अपने अंशों की पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया है तो उसका कम्पनी के प्रति कोई दायित्व नहीं रहता। गारण्टी द्वारा सीमित कम्पनी की दशा में सदस्यों का दायित्व उस राशि तक सीमित होता है जो कि (अंशधारी) कम्पनी के समापन की दशा में कम्पनी, कम्पनी की सम्पत्तियों में अंशदान करने को सहमत होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, असीमित नहीं। सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि कम्पनी में हानि होने की दशा में कम्पनी के लेनदारों से है।

अंशों की हस्तान्तरणशीलता :-

सामान्यतः कम्पनी के अंशधारी अपने अंशों का हस्तान्तरण स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कर सकते हैं जब तक कि कम्पनी के पार्षद अन्तर्नियम में इसके विपरीत कोई अन्य बात नहीं।

अंशधारी एजेन्ट नहीं :-

कम्पनी की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसके अंशधारी कम्पनी के एजेन्ट के रूप में कार्य नहीं कर सकते अर्थात अंशधारी अपने कार्यों से कम्पनी को बाध्य नहीं कर सकते।

Date
28/2/21

* सदस्यों की संख्या :- एक सार्वजनिक कम्पनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या सात होती है तथा अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता अर्थात यह निर्गमित अंशों की संख्या के बराबर तक हो सकते है। इसके विपरीत, एक व्यक्तिगत या निजी कम्पनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या दो या अधिकतम संख्या पचास तक हो सकती है।

* कम्पनी का समापन :- जिस प्रकार एक कम्पनी का निर्माण अधिनियम के द्वारा होता है। उसी प्रकार इसको समाप्ति भी कम्पनी अधिनियम में वर्णित समापन की विधियों के द्वारा ही हो सकती है।

* पृथक सम्पत्ति :- कम्पनी की सम्पत्ति इसके अंशधारियों की सम्पत्ति नहीं, अपितु कम्पनी की अपनी सम्पत्ति होती है। कृत्रिम व्यक्ति होने के उपरान्त भी कम्पनी एक वास्तविक व्यक्ति है। अतः कम्पनी अपने नाम में सम्पत्ति का क्रय - विक्रय कर सकती है, उसे अपने नाम में रख सकती है, उसे बन्धक रख सकती है तथा उसका उपयोग कर सकती है।

समामेलन के आधार पर वर्गीकरण

* समामेलित कम्पनियाँ :- समामेलन कम्पनियाँ निम्नलिखित तीन प्रकार की
(i) राज्य आज्ञा-पत्र द्वारा :- इस प्रकार की कम्पनी का निर्माण शाही आज्ञा अथवा राज्य आज्ञा-पत्र द्वारा होता है। इस प्रकार की कम्पनियाँ प्राचीन काल में स्थापित होती थी। जैसे ईस्ट

इण्डिया कम्पनी, वर्तमान समय में इस प्रकार की कम्पनियाँ स्थापित नहीं की जाती हैं।

संसद के विशेष अधिनियम द्वारा समामेलित कम्पनी :-

कुछ कम्पनियाँ संसद के द्वारा पारित किसी विशेष अधिनियमों द्वारा निर्धारित होती हैं जिनके अधीन इनका निर्माण या समामेलन हुआ है। ऐसी कम्पनियों को वैधानिक कम्पनियाँ या निगम कहते हैं भारत में इस प्रकार की कम्पनियों के बहुत से उदाहरण हैं जैसे भारत का स्टेट बैंक, जीवन बीमा निगम, औद्योगिक वित्त निगम एवं भारत का यूनिट ट्रस्ट, आदि। इन कम्पनियों के नाम के अन्त में लिमिटेड शब्द नहीं लिखा जाता है। ये कम्पनियाँ कोई ऐसा कार्य करने के लिए स्थापित की जाती है जो राष्ट्र के लाभ के लिए हो तथा जिसे पूर्णतया निजी हित से किये जाने से अहित होने की सम्भावना है।

कम्पनी अधिनियम द्वारा समामेलित कम्पनी :-

कम्पनी अधिनियम 1956 या इससे पूर्व पारित कम्पनी अधिनियमों के अन्तर्गत निर्मित एवं रजिस्टर्ड या समामेलित कम्पनियाँ, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत समामेलित कम्पनियाँ कही जाती हैं।

वैधानिक कम्पनियों को छोड़कर शेष सभी कम्पनियों का निर्माण कम्पनी अधिनियम के द्वारा होता है। यद्यपि कुछ विशेष प्रकार की कम्पनियों के लिए अलग से अधिनियम हैं परन्तु फिर भी उनका पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत ही होता है। जैसे - बैंकिंग कम्पनियों के लिए बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम, 1949 बीमा कम्पनियों के लिए बीमा अधिनियम 1938 और विद्युत (पूर्ति)

Date
11/9/21

अधिनियम है, किन्तु इनका पंजीयन कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत ही होता है।

II दायित्व के आधार पर वर्गीकरण

* सीमित दायित्व वाली कम्पनियाँ :- इस प्रकार की कम्पनियों में संघाधारियों का दायित्व सीमित होता है

(i) अंशों द्वारा सीमित कम्पनी :- इन कम्पनियों में सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किये गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित रहता है।

(ii) गारण्टी द्वारा सीमित दायित्व कम्पनीयाँ :- प्रत्याभूति द्वारा सीमित दायित्व वाली कम्पनी वह है। जिसमें कम्पनी के सदस्य कम्पनी के समापन की दशा में गारण्टी देते हैं।

सरकारी कम्पनी के सम्बन्ध में प्रावधान

(अ) सरकारी कम्पनी का अंकेक्षण :- सरकारी कम्पनी के अंकेक्षण के सम्बन्ध में कम्पनी का अधिनियम के द्वारा 619(3) से सरकारी कम्पनी के अंकेक्षण के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम के द्वारा 619(2) से (5) तक के प्रावधान लागू होते हैं निम्नलिखित विशेष व्यवस्थाएँ

Comfany

अंकेक्षक की नियुक्ति
कम्प्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल के अधिकार
सरकारी अंकेक्षक
अंकेक्षण रिपोर्ट
वार्षिक सभा में प्रस्तुति
अंकेक्षक का पारिश्रमिक
सरकारी कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट

इकाई की स्वतन्त्रता के आधार पर वर्गीकरण

स्वतन्त्र कम्पनी
सहायक कम्पनी
एक व्यक्ति कम्पनी अथवा पारिवारिक कम्पनी
सूत्रधारी कम्पनी

राष्ट्रीयता के आधार पर वर्गीकरण

देशी अथवा राष्ट्रीय कम्पनी
बहुराष्ट्रीय अथवा विदेशी कम्पनी

निजी कम्पनी या अलोक कम्पनी या प्राइवेट कम्पनी

भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 (संशोधित अधिनियम 2000) की धारा 3 (i) (iii) के अनुसार, "निजी कम्पनी का आशय एक ऐसी कम्पनी से है तथा जो अपने
जिसकी प्रदत्त पूंजी कम एवं कम एक लाख रुपये या इससे अधिक निर्धारित की गई राशि की है
अपने अंशों के हस्तान्तरण के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाती है।
अपने सदस्यों की संख्या को (अपने कर्मचारी सदस्यों को छोड़कर) 50 तक सीमित रखती है

अपने अंशों और ऋण-पत्रों के खरीदने के लिए जनसाधारण (जनता) को निमन्त्रित नहीं करती हैं।

निजी कम्पनी की विशेषतायें या लक्षण

* न्यूनतम प्रदत्त पूँजी
* अंशों के हस्तान्तरण पर प्रतिबन्ध
* सदस्यों की संख्या पर प्रतिबन्ध
* अंशों व ऋणपत्रों के क्रय के लिए जनता को आमन्त्रित व करना-सीमित दायित्व
* प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग
* सार्वजनिक जमाओं पर निषेध
* कम से कम दो संचालक

निजी कम्पनी के विशेषाधिकार एवं छूटें

* प्रदत्त अंश पूँजी
* न्यूनतम सदस्य संख्या
* समामेलन प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर ही व्यापार प्रारम्भ
* अंशों का आवंटन

प्रवर्तक का अर्थ एवं परिभाषा

प्रवर्तक से आशय ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो कम्पनी प्रवर्तन सम्बन्धी कार्य करते हैं। प्रवर्तक ही वह व्यक्ति है जिसके मस्तिष्क में सर्वप्रथम कम्पनी के निर्माण का विचार आता है और जिसे वह क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक कदम उठाता है। वह व्यापार सम्बन्धी अनुसन्धान करता है एक निश्चित योजना के अनुसार कम्पनी का निर्माण करता है। आवश्यक साधन एकत्रित करता है।

कम्पनी का पंजीयन एवं समामेलन

कम्पनी के निर्माण से आशय प्रवर्तकों अथवा संस्थापकों द्वारा कुछ ऐसी वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने से है जिनके फलस्वरूप कम्पनी अस्तित्व में आती है। कम्पनी का निर्माण उसके समामेलन से होता है। अर्थात समामेलन के बाद ही कम्पनी अस्तित्व में आती है। कम्पनी का समामेलन निम्न क्रिया- विधि अपनाई जाती है।
प्रारम्भिक कार्यवाहियाँ,
रजिस्ट्रार के समक्ष आवश्यक प्रलेख प्रस्तुत करना,
समामेलन का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना,

प्रारम्भिक कार्यवाहियाँ:-

एक कम्पनी का समामेलन कराने के लिए कम्पनी के प्रवर्तक ही समामेलन के लिए आवश्यक कार्यवाहियाँ करते हैं। प्रारम्भिक कार्यवाहियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं।
यह निश्चित करना कि कम्पनी निजी होगी या सार्वजनिक।
रजिस्टर्ड कार्यालय का निश्चय करना
कम्पनी के नाम के लिए कम्पनी रजिस्ट्रार की अनुमति माँगना,
आवश्यक प्रपत्रों को तैयार करवाना व उनको छपवाना,

रजिस्ट्रार के समक्ष आवश्यक प्रलेख प्रस्तुत करना:-
पार्षद सीमानियम
पार्षद अन्तर्नियम
प्रस्तावित संचालकों की सूची
संचालकों की लिखित सहमति
वैधानिक घोषणा
निर्धारित शुल्क जमा करना
समामेलन का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना

Date
3/3/21

समामेलन के प्रमाण-पत्र का नमूना

संख्या...
मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि ... लिमिटेड आज के दिन कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत समामेलित हुई है। और यह कम्पनी सीमित दायित्व वाली कम्पनी है।
... मैं आज ... को मेरे हस्ताक्षर से दिए गया।

कम्पनी रजिस्ट्रार की सील

हस्ताक्षर
कम्पनी का रजिस्ट्रार

समामेलन का प्रभाव

i. कम्पनी एक समामेलित संस्था बन जाती है।
ii. कम्पनी के अस्तित्व की तिथि समामेलन के प्रमाण-पत्र की तिथि से शुरू होना।
iii. कम्पनी का अस्तित्व स्थायी अस्तित्व होना
iv. कम्पनी का पृथक अस्तित्व
v. कम्पनी और सदस्यों के मध्य अनुबन्ध का होना
vi. समामेलन के बाद कम्पनी को एक वैधानिक व्यक्ति माना जाना
vii. पार्षद सीमानियम तथा पार्षद अन्तर्नियमों के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा देय धन कम्पनी के ऋण की भाँति माना जाना
viii. वाद प्रस्तुत करने का अधिकार
viiii. समामेलन के पूर्व के अनुबन्ध
x. लेनदारों पर प्रभाव

व्यापार प्रारम्भ करने के प्रमाण पत्र का नमूना

"मैं यह प्रमाणित करता हूँ लिमिटेड ... जो कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत तिथि ... में निगमित हुई थी और जिसने आज निर्धारित फार्म पर इस आशय का वैधानिक घोषणा जमा कर दी है तथा धारा 149 की शर्तें पूरी कर ली गयी हैं व्यापार करने के लिए अधिकृत है।"

मैं आज तिथि ... को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

कम्पनी रजिस्ट्रार की सील

हस्ताक्षर
कम्पनी रजिस्ट्रार

पार्षद सीमानियम एवं अन्तर्नियम

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 2(28) के अनुसार " सीमानियम से आशय एक कम्पनी के ऐसे पार्षद सीमानियम से है जो पिछले कम्पनी अधिनियमों अथवा इस अधिनियम के अधीन मूल रूप से बनाया गया अथवा समय-समय पर परिवर्तित किया गया है।"

परिभाषा:-

लार्ड केन्यर्स के अनुसार, " सीमानियम कम्पनी का आज्ञा-पत्र (Charter) होता है एवं यह अधिनियम के अधीन स्थापित कम्पनी के अधिकारों की सीमा का उल्लेख करता है।

लार्ड मैकमिलन के अनुसार, " सीमानियम के अनुसार कार्य अंशधारियों, ऋणदाताओं एवं कम्पनी के साथ व्यवहार करने वाले अन्य व्यक्तियों को कम्पनी के सम्पूर्ण कार्य-क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करना है

Date
4/4/21

पार्षद सीमानियम के प्रारूप

कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची प्रथम की तालिका B, C, D, तथा E में कम्पनियों के लिए पार्षद सीमानियम के अलग अलग प्रारूप दिये हुए हैं।

तालिका	कम्पनी
B	अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कम्पनी
C	गारण्टी द्वारा सीमित कम्पनी (अंश पूंजी सहित)
D	गारण्टी द्वारा सीमित कम्पनी (अंश पूंजी सहित)
E	असीमित दायित्व वाली कम्पनी

पार्षद सीमानियम तैयार करते समय ध्यान देने योग्य बातें

(i) पार्षद सीमानियम का प्रारूप
(ii) मुद्रित होना
(iii) ~~अनुच्छेदों~~ अनुच्छेदों में विभाजित
परागृह पर क्रम संख्या का अंकित होना
(iv) हस्ताक्षरित व प्रमाणित
(v) हस्ताक्षरकर्त्ताओं की संख्या
(vi)

पार्षद सीमानियम की विषय-सामग्री या वाक्य

(i) नाम वाक्य
(ii) राजिस्ट्रीकार्यालय वाक्य या स्थान वाक्य
(iii) कम्पनी का उद्देश्य वाक्य
(i) मुख्य उद्देश्य
(ii) अन्य उद्देश्य

उद्देश्य वाक्य तैयार करते समय ध्यान देने योग्य बातें

दायित्व वाक्य
पूंजी वाक्य
संघ तथा हस्ताक्षर वाक्य

पार्षद सीमानियम का महत्व

यह कम्पनी की स्थापना के लिए एक अनिवार्य प्रपत्र है।
यह कम्पनी के समामेलन की आधारभूत शर्तों को स्पष्ट करता है।
यह कम्पनी तथा बाहरी व्यक्तियों के सम्बन्ध को परिभाषित करता है।
कम्पनी के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, अधिकार एवं शक्तियों को परिभाषित करता है।
कम्पनी के पूंजी ढांचे को स्पष्ट कीजिए
सीमानियम में परिवर्तन करना सरल कार्य नहीं है।
यह कम्पनी के सदस्यों की जोखिमों का वर्णन करता है

पार्षद सीमानियम अन्तर्नियमों की आवश्यकता अथवा महत्व

रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक
उद्देश्य प्राप्ति में सहायक
आन्तरिक प्रबन्ध संचालन में सहायक
पारस्परिक समझौता
सार्वजनिक प्रलेख

पार्षद अन्तर्नियम के प्रभाव

तालिका 'अ' (Table A): अंशों द्वारा सीमित कम्पनी के लिए।
तालिका 'ब' (Table B):- गारन्टी द्वारा सीमित कम्पनी के लिए जिसमें अंश पूंजी नहीं है।

Date
५/आ/२१

तालिका (द Table) :- गारण्टी द्वारा सीमित कम्पनी के लिए जिसमें अंश पूँजी है।

तालिका :(इ Table) :- असीमित कम्पनियों के लिए

अन्तर्नियमों का प्रभाव

(i) कम्पनी द्वारा सदस्यों को बद्ध करना अथवा सदस्यों के दायित्व की उत्पत्ति

(ii) सदस्यों द्वारा कम्पनी को बद्ध करना अथवा कम्पनी का सदस्यों के लिए प्रति दायित्व उत्पन्न होना

(iii) सदस्यों को पारस्परिक रूप से बद्ध करना

पार्षद अन्तर्नियमों में परिवर्तन

* अन्तर्नियम कम्पनी को उनके सदस्यों के प्रति तथा सदस्यों को कम्पनी के प्रति और सदस्यों को एक-दूसरे के प्रति भी बद्ध (Bound) कर देते हैं।"

* (i) कोई भी कम्पनी अधिनियम के आदेशों का पालन करते हुए तथा अपने पार्षद सीमानियम का उल्लंघन न करते हुए विशेष प्रस्ताव द्वारा अपने अन्तर्नियमों में परिवर्तन कर सकती है।

परिवर्तन-प्रक्रिया

(i) कम्पनी का स्वरूप पूर्ववत बने रहने पर परिवर्तन प्रक्रिया

(2) कम्पनी के स्वरूप में परिवर्तन होने की दशा में परिवर्तन प्रक्रिया

(3)

आन्तरिक प्रबन्ध (संचालन) का सिद्धान्त

रचनात्मक सूचना सिद्धान्त के अनुसार यह माना जाता है कि प्रत्येक उस व्यक्ति ने जो कम्पनी के साथ

व्यवहार कर रहा हैं न केवल सीमानियम व अन्तर्नियमों को पढ़ लिया है बल्कि उनके प्रावधानों को सही अर्थों में समझ भी लिया हैं।

पार्षद सीमानियम और अन्तर्नियमों सार्वजनिक प्रलेख हैं

समामेलन होने के बाद प्रत्येक कम्पनी का सीमानियम एंव अन्तर्नियम सार्वजनिक प्रलेख (Public Documents) हो जाते हैं। रजिस्ट्रार के कार्यालय में निर्धारित शुल्क देकर कोई भी व्यक्ति इनको देख सकता हैं। इनका अध्ययन कर सकता है और यदि इनमें से कुछ नोट करना चाहे तो नोट कर सकता हैं एंव चाहे तो प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर करता हैं।

पार्षद सीमानियम व पार्षद अन्तर्नियम की रजिस्ट्री का प्रभाव

धारा 26 के अन्तर्गत के अनुसार कम्पनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन जब पार्षद सीमानियम और पार्षद अन्तर्नियम की रजिस्ट्री हो जाती हैं तब वे कम्पनी तथा उनके सदस्यों को उस प्रकार से बाध्य करते हैं।

अनाधिकृत या शक्ति से परे या अधिकारों के बाहर का सिद्धान्त

कम्पनी का पार्षद सीमानियम कम्पनी के अधिकारों एंव उद्देश्यों को निर्धारित करता है। तथा कम्पनी के कार्यक्षेत्र की सीमा तय करता हैं। वस्तुत: प्रत्येक कम्पनी अपने पार्षद सीमानियम में उल्लेखित उद्देश्यों के लिए ही समामेलित की जाती हैं।

परिणाम

(i) कार्य कम्पनी के मुख्य उद्देश्यों के अन्तर्गत नहीं आता है।
(ii) कम्पनी के मुख्य उद्देश्य को पूरा करना असम्भव हो जाने पर किया गया कार्य
कार्य कम्पनी के उद्देश्यों के लिए आवश्यक
कार्य अन्तर्नियमों के बाहर होने पर
कार्य संचालकों के अधिकारों के बाहर होने पर
कम्पनी के अधिकार क्षेत्र के बाहर किये गये कार्य

अधिकार से बाहर किये जाने कार्यों का प्रभाव

(i) व्यर्थ अनुबन्ध
(ii) निषेधाज्ञा प्राप्त करना
(iii) संचालकों का व्यक्तिगत दायित्व
(iv) अधिकारों के बाहर प्राप्त की गई सम्पत्ति पर अधिकार
(v) कर्तव्य भंग का दायित्व
(vi) अनाधिकृत रूप वसूल करने का अधिकार

अधिकार से बाहर किये गये शक्ति के अन्तर्गत या अधिकारों के अन्दर का सिद्धान्त

(i) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत किये गये कार्य
(ii) पार्षद सीमानियम के अधिकारों के अन्तर्गत किये गये कार्य
(iii) पार्षद अन्तर्नियमों के अधिकारों के अन्तर्गत किये गये कार्य

UNIT-2

प्रविवरण का अर्थ एवं परिभाषा

समामेलन का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त कम्पनी के समक्ष प्रमुख समस्या पूँजी प्राप्त करने की होती है। एक निजी कम्पनी की दशा में कम्पनी के प्रथम संचालक व उसके सदस्यगण अपने निजी स्रोतों से पूँजी एकत्रित करके कम्पनी का व्यापार प्रारम्भ कर सकते हैं, परन्तु एक सार्वजनिक कम्पनी की दशा में पूँजी एकत्रित करने के लिए जनता को अंश बेचने पड़ते हैं।

कम्पनी अधिनियम की धारा 2(36) के अनुसार "प्रविवरण का आशय प्रविवरण के रूप में वर्णित या निर्गमित किसी भी प्रपत्र से है और इसमें कोई भी नोटिस, गश्तीपत्र, विज्ञापन या अन्य प्रपत्र सम्मिलित होता है जिसके द्वारा जनता से निक्षेप आमंत्रित किये या एक समामेलित संस्था के अंशों या ऋणपत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमन्त्रित किया जाये।

परिभाषाः

टोपहम एवं टोपहम के अनुसार "प्रविवरण से आशय ऐसे परिपत्र से है, जो प्रवर्तकों के द्वारा कम्पनी के समामेलन के पश्चात उसके अंशों को खरीदने के लिए जनता को प्रेरित करने हेतु प्रकाशित किया जाता है।

Date
5/3/21

क्या प्रविवरण का निर्गमन आवश्यक है?

(i) यदि आवेदन-पत्र ऐसे व्यक्ति के यथार्थ निमन्त्रण के सम्बन्ध में निर्गमित किया गया है, जो कि अंशों अथवा ऋण-पत्रों के लिए कम्पनी के साथ अभिगोपन का अनुबन्ध करता है।

(ii) यदि अंशों या ऋणपत्रों का निर्गमन केवल विद्यमान अंशधारियों अथवा ऋणपत्रधारियों को किया जाना हो।

(iii) यदि ऐसे अंशों या ऋणपत्रों का निर्गमन होना हो जो कि पहले निर्गमित किये गये अंशों या ऋणपत्रों से पूर्णतः मिलते-जुलते हों तथा किसी मान्य स्कन्ध बाजार में उनका व्यवहार किया जाता है।

(iv) यदि अंश एवं ऋणपत्र जनता को प्रस्तावित नहीं किये जा रहे हों।

प्रविवरण का निर्गमन और कौन कर सकता है?

(i) कम्पनी के द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा
(ii) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कम्पनी के निर्माण में संलग्न है अथवा कम्पनी के निर्माण में रुचि रखता है। या ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।
(iii) किसी भी ऐसे व्यक्ति अथवा ऐसी संस्था द्वारा जिसे जनता को पुनः विक्रय हेतु अंशों का आबंटन किया गया है।

प्रविवरण के निर्गमन के सम्बन्ध में वैधानिक नियम

(i) प्रविवरण पर तारीख अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए
(ii) समामेलन के पूर्व निर्गमन नहीं-
(iii) संचालकों के हस्ताक्षर

एवं
प्रविवरण को रजिस्ट्रेशन हेतु रजिस्ट्रार के पास भेजना
विशेषज्ञों की लिखित सहमति
पदाधिकारियों की लिखित सहमति
महत्वपूर्ण अनुबन्धों की प्रतिलिपियाँ
प्रबन्धकीय कर्मचारियों से किये गये अनुबन्धों की प्रतिलिपि
समायोजन का प्रतिवेदन
प्रविवरण के मुख पृष्ठ पर आवश्यक सूचनाओं का लिखा जाना
प्रविवरण - पत्रिका का 90 दिन में जनता को निर्गमन

गर्भित प्रविवरण

बहुत सी कम्पनियाँ अपने अंश तथा ऋण-पत्र प्रत्यक्ष रूप से स्वयं जनता को निर्गमित नहीं करती बल्कि किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को इस आशय से अपने अंशों तथा ऋणपत्रों को बेच देती हैं

शेल्फ प्रविवरण

वित्त व्यवस्था हेतु शेल्फ प्रविवरण रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करना
वैधता अवधि में पुनः निर्गमन आवश्यक नहीं
वैधता की अवधि
सूचना स्मरणपत्र प्रस्तुत करना
प्रस्तुत करने का समय
जनता को जारी करना

5/3/21

प्रविवरण तथा स्थानापन्न प्रविवरण में अन्तर

अन्तर का आधार	प्रविवरण	स्थानापन्न प्रविवरण
अर्थ	यह एक ऐसा प्रलेख है जिससे प्रेरित होकर जनता कम्पनी के अंशों एवं ऋण-पत्रों को क्रय करने के लिए आवेदन करती है।	इसका निर्गमन प्रविवरण के प्रभाव में किया गया है इसी कारण इसे स्थापन्न प्रविवरण कहा जाता है।
उद्देश्य	इसके निर्गमन का मूलभूत उद्देश्य जनता को कम्पनी के अंशों एवं ऋण-पत्रों को क्रय करने के लिए आमन्त्रित करना होता है।	इसके निर्गमन का मूलभूत उद्देश्य जनता को अंशों एवं ऋण-पत्रों को खरीदने के लिए आमन्त्रित करना नहीं होता है। अपितु इसका निर्गमन विनिर्दिष्ट दशाओं में कम्पनी अधिनियम की औपचारिकताओं को पूरा करना मात्र ही होता है।
प्रारूप एवं विषय-सामग्री	इसका प्रारूप एवं विषय-सामग्री कम्पनी अधिनियम की अनुसूची II के भाग I, II, एवं III के अनुरूप होती है।	इसका प्रारूप एवं विषय-सामग्री कम्पनी अधिनियम की अनुसूची III के अनुरूप होती है।
निर्गमन की दशाएँ	प्रविवरण का निर्गमन सामान्य दशाओं में किया जाता है।	इसका निर्गमन कुछ विशिष्ट दशाओं में ही किया जाता है।
कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों की कठोरता	प्रविवरण के निर्गमन के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम के प्रावधान अधिक कठोर हैं।	प्रविवरण के स्थानापन्न विवरण के निर्गमन के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम के प्रावधान अपेक्षाकृत कम कठोर होते हैं।

परिभाषा

न्यायाधीश कॉकबर्न के अनुसार "प्रवर्तक निश्चित उद्देश्यों के आधार पर कम्पनी का निर्माण करता है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही करता है।"

लार्ड लिण्डले के अनुसार "प्रवर्तक शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। कम्पनी के सम्बन्ध में प्रवर्तक का आशय उस प्रभावपूर्ण क्रिया से है, जो कम्पनी को तैयार करने, प्रारम्भ करने एवं प्रबन्ध में लाने के लिये आवश्यक है।"

प्रवर्तकों के प्रकार

पेशेवर प्रवर्तक
सामयिक प्रवर्तक
वित्तीय प्रवर्तक
विशिष्ट संस्थाएँ

प्रवर्तकों के कार्य

कम्पनी निर्माण की कल्पना करना
विस्तृत अंश अनुसन्धान करना
विक्रेताओं के साथ अनुबन्ध करना
नाम उद्देश्य एवं पूँजी निश्चित करना
आवश्यक प्रपत्र तैयार करवाना
आवश्यक लाइसेंस व अनुमति लेना
प्रविवरण का निर्गमन
अभिगोपन सम्बन्धी अनुबन्ध करना
पूँजी निर्गमन

Date
1/3/21

- स्टॉक एक्सचेन्ज को आवेदन-पत्र भेजना
- प्रारम्भिक व्ययों का भुगतान

प्रवर्तक का पारिश्रमिक

(i) व्यवसाय या सम्पत्ति के क्रय मूल्य पर एक निश्चित कमीशन व एक मुश्त राशि भुगतान करना।
(ii) कम्पनी के लिए व्यवसाय व सम्पत्ति को स्वंय कम मूल्य पर क्रय करके कम्पनी को अधिक मूल्य पर विक्रय करके लाभ कमाना- किन्तु इसका स्पष्टीकरण करना आवश्यक है।
(iii) बिके हुए अंशों पर एक निश्चित प्रतिशत प्रदान करना।
(iv) उसकी स्वंय की सम्पत्तियों को कम्पनी द्वारा ऊँचे मूल्य पर खरीदना किन्तु इस तथ्य को प्रकट करना अनिवार्य है।

प्रवर्तकों के अधिकार

* प्रारम्भिक व्यय पाने का अधिकार
* सह-प्रवर्तकों से आनुपातिक राशि प्राप्त करने का अधिकार
* पारिश्रमिक पाने का अधिकार

प्रवर्तकों के दायित्व

* समामेलन से पूर्व किये गये कार्यों के लिए दायित्व
* गुप्त लाभ प्रकट करने का दायित्व
* कम्पनी के साथ कपट या कर्तव्य भंग की दशा में
* प्रविवरण में कपट के लिए दायित्व
* प्रविवरण की वैधानिक त्रुटियों के कारण उत्तरदायित्व
* निस्तारक की रिपोर्ट पर दायित्व

Date
12/1/24

Q-18 विविध प्रकार की कम्पनियाँ

(1) धर्मार्थ कम्पनी [Charitable Company]

(2) बैंकिंग कम्पनी [Banking Company]

(3) गैर-बैंकिंग वित्तसंस्था [Non-Banking Financial Company]

(4) बीमा कम्पनी [Insurance company]

(5) विद्युत कम्पनी [Electricity Company]

(6) अवैध संस्था [Illegal Association

(7) उत्पादक कम्पनी [Producer Company]

(8) निष्क्रिय कम्पनी [Dormant Company]

Q- अर्थ

Meaning:- कम्पनी शब्द का अँग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्तियों का साथ या समूह। वास्तव में देखा जाय तो एक कम्पनी व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी सामान्य उद्देश्य, कार्य या व्यवसाय को करने के लिए एकत्र हुआ है किन्तु कम्पनी कानून के अनुसार कम्पनी शब्द का अर्थ कम्पनी (व्यक्तियों के समूह) से है जो कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो या संसद अथवा विधान मण्डल द्वारा पारित अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई हो।

सदस्यों और ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन में अन्तर

आधार	सदस्य द्वारा ऐच्छिक समापन	ऋणदाता द्वारा ऐच्छिक समापन
... का आधार	सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन में कम्पनी ऋणों का भुगतान करने में समर्थ होता है।	ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ रहती है।
...क्षमता ...णा	सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन में शोधन क्षमता की घोषणा निदेशकों द्वारा की जाती है।	ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन निदेशकों द्वारा शोधन क्षमता की घोषणा करने में असफलता के कारण होता है।
...ण	सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन में समापन का नियन्त्रण सदस्यों के हाथ में होता है।	ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन में समापन का नियन्त्रण ऋणदाताओं के हाथ में होता है।
...ओं ...ा	सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन में ऋणदाताओं की सभा कम्पनी की सभा के साथ होती है या अगले दिन होती है।	ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन की दशा में ऋणदाताओं की सभा जब आवश्यक हो जब अंशधारियों की सभा के साथ होती है।
...को ...नियुक्त	सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन में समापक को कम्पनी द्वारा हटाया जा सकता है।	ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन में समापक को ऋणदाताओं द्वारा हटाया जा सकता है।
समापक ...की	समापक की नियुक्ति करने पर कम्पनी रजिस्ट्रार को सूचित करेगी।	ऋणदाताओं द्वारा रजिस्ट्रार को सूचित नहीं किया जाता है।

समितियों की नियुक्ति	सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन में समितियों की नियुक्ति कम्पनी द्वारा की जाती है।	ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन में समितियों की नियुक्ति ऋणदाताओं की जाती है।
समापकों की संख्या	सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन में एक या एक से अधिक समापकों की नियुक्ति की जाती है।	ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन में एक समापक में एक समापक की नियुक्ति की जा सकती है।

Q. अंशधारी और सदस्य में अन्तर

आधार	अंशधारी	सदस्य
अंश पूंजी वाली कम्पनी तथा और अंश पूंजी वाली कम्पनी	केवल पूँजी वाली कम्पनी में ही अंशधारी होते हैं।	सदस्य प्रत्येक कम्पनी में हो सकता है चाहे वह अंश पूंजी वाली कम्पनी या बगैर अंश पूंजी वाली कम्पनी हो।
अधिपत्र का धारक	एक अधिपत्र का धारक अंशधारी होता है, परन्तु सदस्य नहीं होता रहता, क्योंकि अधिपत्र जारी करते ही उसका नाम सदस्य रजिस्टर से हटा दिया जाता है	अधिपत्र का धारक कम्पनी का सदस्य नहीं होता है जब तक उसका नाम एक सदस्य रजिस्टर में लिख नहीं दिया जाता है
अंश हस्तान्तरण करने की दशा में	एक सदस्य जिसने अपने अंश हस्तान्तरित कर दिए हैं तो हस्तान्तरी अंशधारी बन जाता है।	1 सदस्य जिसने अपने अंश हस्तान्तरित कर दिए हैं वह अंशधारी नहीं रहता।
मृत्यु की दशा में	एक मृतक अंशधारी का कानूनी उत्तराधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत अंशों का धारक बन जाता है।	एक मृत सदस्य का वैध उत्तराधिकार सदस्य नहीं बन सकता जब तक कि उसका नाम सदस्य रजिस्टर में न लिख दिया जाए।

UNIT-3

कम्पनियों का प्रबन्ध - संचालकगण

कम्पनी, एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकती। वस्तुतः कम्पनी अपने सभी कार्यों को अपने एजेन्टों के द्वारा कराती है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 2(13) के अनुसार "संचालक का आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो संचालक का स्थान ग्रहण किये हुये हो, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता है।"

वेबस्टर शब्दकोष के अनुसार "संचालक से अभिप्राय किसी भी व्यक्ति से है जो कम्पनी के मामलों का प्रबन्ध करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

संचालकों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या

न्यूनतम संख्या:- प्रत्येक सार्वजनिक कम्पनी में कम से कम 3 संचालकों का होना अनिवार्य है। परन्तु जिस सार्वजनिक कम्पनी में 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी हो

प्रथम संचालकों की नियुक्ति — कम्पनी के पार्षद सीमानियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति ही कम्पनी के प्रथम संचालक माने जायेंगे जबतक कि कम्पनी की प्रथम साधारण सभा में संचालकों में की नियुक्ति नहीं हो जाती है।

5/3/21.

सदस्यों द्वारा सामान्य सभा में संचालकों की नियुक्ति
(2) संचालक मण्डल द्वारा संचालकों की नियुक्ति
(3) आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर संचालकों की नियु
(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालकों की नियुक्ति
(5)

संचालकों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध

(i) संचालक पद के लिए अयोग्यताएँ
(i) यदि किसी कम्पनी को न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क वाला या पागल ठहराया गया हो।
(ii) यदि वह अविमुक्त दिवालिया हो अर्थात जिसे दिवालिया से मुक्ति नहीं मिली।
(2) केवल व्यक्ति ही संचालक
(3) रजिस्ट्रार के पास सहमति न भेजना
(4) योग्यता अंश
(5) दोषी कम्पनियों का संचालक
(6) संचालित कम्पनियों की अधिकतम संख्या पर प्रतिबन्ध
(7) लाभ का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति

संचालकों को हटाना

I अंशधारियों द्वारा [धारा 284]
II केन्द्रीय सरकार द्वारा [धाराएँ 388B से 388E]
III अधिकरण द्वारा [धारा 397, 398 तथा 402]

I (i) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त संचालक

II केन्द्रीय सरकार द्वारा हटाना
जब भी कभी कम्पनी के प्रबन्धकीय कर्मचारियों के विरुद्ध कोई आरोप हो तो उनकी जाँच करने तथा उन कर्मचारियों के कम्पनी में बने रहने के औचित्य का पता लगाने का कार्य केन्द्रीय सरकार का है।

15/12/17

अधिकरण को जाँच के लिये स्थापना

यदि कोई व्यक्ति कम्पनी के संचालक तथा प्रबन्ध में कम्पनी के प्रबन्धकीय कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी मामला या आरोप निम्नलिखित दशाओं में अधिकरण को जाँच के लिये सौंप सकता है।

यदि किसी व्यक्ति द्वारा कम्पनी का व्यापार ठोस व्यापारिक सिद्धान्तों अथवा दूरदर्शी वाणिज्यिक परम्परा के अनुरूप नहीं चलाया जाता है।

यदि वह व्यक्ति कम्पनी का प्रबन्ध इस प्रकार करता है जिसमें कि कम्पनी से सम्बद्ध, व्यापार उद्योग अथवा वाणिज्य को गम्भीर क्षति पहुँचती है अथवा क्षति पहुँचने की सम्भावना होती है।

यदि कोई व्यक्ति कम्पनी का प्रबन्ध, कम्पनी के लेनदारों सदस्यों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने उद्देश्य से करता है।

आवेदन पत्र
अधिकरण का निर्णय
हटाने का आदेश
पुनर्नियुक्ति

अधिकरण द्वारा हटाना
संचालकों का पारिश्रमिक
पारिश्रमिक के भुगतान की विधि
पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा

संचालकों के अधिकार

सामान्य अधिकार
विशेष अधिकार

8/3/21

संचालकों के कर्तव्य

वैधानिक कर्तव्य

(i) हित प्रकट करना

(ii) पद ग्रहण करने व त्यागने को प्रकट करना

(iii) कम्पनी में धारण किये हुए अंशों आदि को प्रगट करना

(iv) प्रविवरण की विषय-सामग्री की सत्यता को प्रमाणित करना,

संचालकों के दायित्व

(I) सामान्य दायित्व

(i) कम्पनी के प्रति दायित्व

(ii) बाहरी अथवा तीसरे पक्षकारों के प्रति दायित्व

(I) कम्पनी के प्रति दायित्वः- कम्पनी के प्रति संचालकों के निम्नलिखित दायित्व हैं।

(i) अधिकार के बाहर किये हुए कार्यों के लिए दायित्व

(ii) लापरवाही के लिए दायित्व

(iii) कर्तव्य भंग के लिए दायित्व

(iv) विश्वास तोड़ने के लिए दायित्व

(v) कपट के लिए दायित्व

(II) बाहरी अथवा तीसरे पक्षकारों के प्रति दायित्व

(i) अपने नाम में अनुबन्ध करने पर

(ii) गर्भित आश्वासन भंग के लिए

(iii) प्रविवरण में मिथ्यावर्णन के लिए

(iv) अंशों के अनियमित आवंटन पर

(v) आवंटन न होने की दशा में प्राप्त धन लौटाने का दायित्व

एजेन्ट के रूप में दायित्व
संचालकों का दायित्व असीमित होने पर

पदीय दायित्व

प्रविवरण में असत्य कथन होने पर
आवेदन राशि को सुसूचित बैंक में जमा न करने पर
योग्यता अंश न लेने पर
स्थानापन्न प्रविवरण-पत्र रजिस्ट्रार को प्रस्तुत न करने पर
आवंटन विवरण प्रस्तुत न करने पर
अंश प्रमाण-पत्र तैयार न करने पर
अंश प्रमाण-पत्र की सुपुर्दगी न करने पर
प्रस्तावों का पंजीकरण न कराने पर
वैधानिक सभा न बुलाने पर
वार्षिक सामान्य सभा न बुलाने पर
घोषित लाभांश का भुगतान न करने पर

प्रबन्ध संचालक एवं पूर्णकालिक संचालक में अन्तर

प्रबन्ध संचालक के पास प्रबन्ध के व्यापक अधिकार होते हैं जबकि पूर्णकालिक संचालक कम्पनी के एक पूर्णकालिक कर्मचारी की भाँति होता है जो कम्पनी के सामान्य कार्य सम्पन्न करता है।
प्रबन्ध संचालक एवं प्रबन्धक एक साथ एक ही कम्पनी में नियुक्त नहीं किए जा सकता है
प्रबन्ध संचालक एक एवं अधिक कम्पनियों का प्रबन्ध संचालक हो सकता है।
प्रबन्ध संचालक की नियुक्ति एक बार में अधिकतम 5 वर्ष के लिए की जा सकती है।

प्रबन्ध संचालक की नियुक्ति के लिए अंशधारियों की सहमति नहीं है।

5/3/21

प्रबन्धक

धारा 2(24) के अनुसार, "प्रबन्धक से आशय उस व्यक्ति से है जो संचालक बोर्ड के निरीक्षण नियन्त्रण तथा निर्देशन में कम्पनी का पूर्ण अथवा लगभग पूर्ण प्रबन्ध करता है। इस परिभाषा में संचालक अथवा कोई भी अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित है जो प्रबन्धक की स्थिति में कार्य करता है चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो तथा चाहे उसके साथ सेवा का कोई अनुबन्ध हुआ हो अथवा नहीं"

कम्पनी के संचालकों की वैधानिक स्थिति

(i) संचालक की स्थिति कम्पनी के प्रन्यासी (ट्रस्टी) के रूप में
(ii) एजेन्ट या अभिकर्ता के रूप में संचालक की स्थिति
(iii) प्रबन्धकीय साझेदार के रूप में संचालक की स्थिति
(iv) कम्पनी के अधिकारी के रूप में संचालक की स्थिति
(v) संचालक - कर्मचारी के रूप में

अन्तर	प्रबन्धक	प्रबन्ध संचालक
योग्यता	प्रबन्धक पद के योग्य होने के लिये कम्पनी में संचालक होना आवश्यक नहीं है।	प्रबन्ध संचालक उसी को नियुक्त किया जा सकता है। जो कम्पनी का संचालक हो।
संख्या	किसी कम्पनी में केवल एक ही प्रबन्धक हो सकता है।	किसी भी कम्पनी में एक से अधिक प्रबन्ध संचालक हो सकते हैं।
स्थिति	प्रबन्धक कम्पनी का एक कर्मचारी होता है। अतः उसे कर्मचारी हित लाभ प्राप्त होते हैं।	यह कम्पनी का कर्मचारी भी हो सकता है। और नहीं भी, यह उसके नियुक्ति के अनुबन्ध पर निर्भर करता है।
नियुक्ति	प्रबन्ध की नियुक्ति एक स्पष्ट अनुबन्ध के अन्तर्गत की जाती है।	इसकी नियुक्ति किसी अनुबन्ध के अन्तर्गत अथवा संचालक मण्डल के प्रस्ताव द्वारा अथवा अन्तर्नियमों की व्यवस्था के अनुसार की जा सकती है
पद की समाप्ति	इसके पद की समाप्ति अनुबन्ध के अनुसार ही होती है।	इसके पद की अवधि तब समाप्त हो जाती है। जबकि इसके संचालक पद की अवधि समाप्त होती है।

6/3/21

UNIT-4

कम्पनी सभा का अर्थ

सभा का आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों का किसी पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर किसी निश्चित विषय पर विचार-विमर्श करते हुए एकत्र होने एवं विचार-विमर्श कर निर्णय लेने से है। दूसरे शब्दों में सभा पूर्ण सूचना के आधार पर एकत्रित दो या अधिक व्यक्तियों का समूह है जो किसी वैध व्यावसायिक कार्य को करने के लिए प्रस्ताव पारित कर निर्णय करता है।

परिभाषा:-

शार्प बनाम डेविस विवाद:- "विधि संगत उद्देश्यो के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना ही सभा है।"

वैध सभा के आवश्यक तत्व

(i) सभा उचित प्राधिकारी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा बुलाई जानी चाहिए।
(ii) सभा में कार्यवाहक संख्या की उपस्थिति होना चाहिए-
(iii) सभा का अध्यक्ष उचित तरीके से नियुक्त किया गया हो।
(iv) सभा की निश्चित कार्यसूची होनी चाहिए
(v) नियमानुसार प्रस्ताव पारित हो
(vi) सभा की कार्यवाही का सूक्ष्म अथवा कार्यवृत लिखा जाना चाहिए
(vii) उचित मतदान निर्णय लिया गया हो
(viii) सभा में प्रस्तुत मामलों में विचार-विमर्श नियमानुसार हो

कम्पनी सभाओं के प्रकार

अंशधारियों की सभायें- वैधानिक सभा, असाधारण सभा
संचालकों की सभायें- संचालक मण्डल की सभा
ऋणपत्रधारियों की सभायें
ऋणदाताओं की सभायें

I अंशधारियों की सभायें

वैधानिक सभा
वार्षिक साधारण सभा
असामान्य साधारण सभा
वर्ग सभायें

II संचालकों की सभायें

संचालक मण्डल की सभा
संचालक समिति की सभा

III ऋणपत्रधारियों की सभायें

ऋणपत्रों की शर्तों को परिवर्तित करने के लिए
समझौता योजनाओं पर विचार करने के लिए
कम्पनी के पुनर्संगठन, पुनर्निर्माण एवं एकीकरण के समय
कम्पनी के समापन के समय

IV ऋणदाताओं की सभायें

कम्पनी की पूँजी के पुनर्गठन अथवा पूँजी में परिवर्तन
करने की दशा में।

6/7/21

(iii) ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन का प्रभाव पारित करने के लिए।

(iv) ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन की अवधि में निरंतर द्वारा ऋणपत्रों की वार्षिक सभा बुलाना यदि समापन की कार्यवाही एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जारी रहती है।

(v) ऋणपत्रों द्वारा ऐच्छिक समापन की समाप्ति पर निरंतर द्वारा ऋणदाताओं की अंतिम सभा बुलाना।

वैधानिक सभा बुलाने का उद्देश्य

वैधानिक सभा बुलाने का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को कम्पनी के निर्माण के बाद की स्थिति से अवगत करवाना है इस सभा में कम्पनी द्वारा प्राप्त किये गये धन एवं व्ययों का विवरण सदस्यों के सम्मुख रखा जाता है। इस सभा में उन्हें यह भी बताया जाता है कि कम्पनी के अंशों का आवंटन किस प्रकार किया जाता है।

अंशधारियों की सभाओं की विस्तृत विवेचना

1. वैधानिक सभा:-
कम्पनी को व्यवसाय प्रारम्भ करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद, अंशधारियों की जो सर्वप्रथम सभा बुलाई जाती है। उसे कम्पनी की वैधानिक सभा कहते हैं।

वैधानिक सभा के सम्बन्ध में कानूनी प्रावधान

(i) वैधानिक सभा बुलाने का दायित्व
(ii) वैधानिक सभा बुलाने का समय
(iii) वैधानिक सभा बुलाने के दायित्व से मुक्त कम्पनियाँ

वैधानिक सभा की सूचना भेजना
अंकेक्षक द्वारा वैधानिक रिपोर्ट का प्रमाणन
कार्यसूची या कार्यवाही भेजना
कम्पनी के सदस्यों की सूची तैयार करना
निर्धारित तिथि एवं स्थान पर सभा का आयोजन
वैधानिक सभा का स्थगन
आर्थिक दण्ड

वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य

कम्पनी के सदस्यों का कम्पनी के कार्य एवं प्रबन्ध पर अन्तिम नियन्त्रण बनाये रखना
कम्पनी के सदस्यों को कम्पनी के गत वर्ष के कार्यों से प्रगति एवं सूचना करना।
वार्षिक खातों की अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करना।
लाभांश घोषित करना
सेवानिवृत्त अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने वाले संचालकों के पदों पर नवीन संचालकों की नियुक्ति करना
अंकेक्षकों की नियुक्ति करना

वार्षिक साधारण सभा से सम्बन्धित वैधानिक प्रावधान

प्रतिवर्ष सभा बुलाना
दो वार्षिक साधारण सभाओं के मध्य समयान्तर
प्रथम वार्षिक साधारण सभा का समय
सभाओं की अवधि बढ़ाना
वार्षिक साधारण सभा का समय, दिन एवं स्थान
केन्द्रीय सरकार द्वारा छूट
केन्द्रीय सरकार द्वारा वार्षिक साधारण सभा बुलानी
सभापति

6/3/21

सभापति के उपस्थित न होने पर
सभा की सूचना
सभा की सूचना कि विषयवस्तु
सभा की सूचना प्राप्त करने के अधिकारी
स्थगित सभा की सूचना
त्रुटि करने पर आर्थिक दण्ड

वार्षिक साधारण सभा के कार्य

i) साधारण कार्य

साधारण कार्य नैत्यिक प्रकृति के होते हैं। ये कार्य प्रति वर्ष ही साधारण सभा में किये जाते हैं। इन कार्यों में प्रमुख कार्य इस प्रकार

i) कम्पनी के वार्षिक खाते, चिट्ठे, संचालकों तथा अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना तथा उन्हें स्वीकार करना।

ii) वार्षिक लाभांश की घोषणा करना

iii) पारी से रिटायर होने वाले संचालकों के स्थान पर संचालक नियुक्त करना

ii) विशेष कार्य

i) कम्पनी के पार्षद सीमानियमों में परिवर्तन करना

ii) कम्पनी की अधिकृत पूँजी को बढ़ाना

iii) प्रबन्धक अथवा प्रबन्ध संचालक की नियुक्ति करना

iv) कम्पनी के पार्षद सीमानियम में परिवर्तन।

असाधारण सभा [Extra-ordinary Meeting]

वार्षिक साधारण सभा वैधानिक सभा के अतिरिक्त सदस्यों की अन्य सभी सभाएँ असाधारण सभा कहलाती हैं। ये सभाएँ उस समय आयोजित की जाती है। जबकि कम्पनी के समक्ष

कोई ऐसा आवश्यक कार्य आ जाये जिसके लिए आगामी वार्षिक सभा तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती हैं

असामान्य साधारण सभा कब बुलाई जा सकती हैं

कम्पनी के सीमानियम के विभिन्न वाक्यों में परिवर्तन करने के लिए
अन्तर्नियमों में परिवर्तन, संशोधन एवं विस्तार करने के लिए
अन्य किसी मामले पर प्रस्ताव पारित करने के लिए

असामान्य साधारण सभा कौन बुला सकता हैं

संचालक मण्डल द्वारा स्वेच्छा से,
सदस्यों की माँग पर संचालक मण्डल द्वारा,
माँगकर्ता सदस्यों द्वारा, तथा,
अधिकरण द्वारा।

प्रतिपुरुष से सम्बन्धित वैधानिक प्रावधान

प्रतिपुरुष कौन नियुक्त कर सकता हैं
प्रतिपुरुष किसे नियुक्त किया जा सकता हैं
सभा की सूचना में प्रतिपुरुष की नियुक्ति का उल्लेख
प्रतिपुरुष नियुक्ति करने की विधि
प्रोक्सी फार्म जमा कराने की अवधि
प्रतिपुरुष फार्मों का निरीक्षण

प्रस्ताव (संकल्प) [Resolution]

अंग्रेजी में Motion तथा Resolution दो शब्द हैं कुछ व्यक्ति Motion को हिन्दी में 'सुझाव' तथा Resolution को 'प्रस्ताव' कहते हैं इसके विपरीत कुछ व्यक्ति Motion को प्रस्ताव तथा Resolution को संकल्प कहते हैं

6/3/21

हम Motion के लिए सुझाव तथा Resolution के लिए प्रस्ताव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।

प्रस्ताव का अर्थ:-

एक प्रस्तावित प्रस्ताव (Proposed Resolution) या सुझाव (Motion) जब अंशधारियों के आवश्यक बहुमत द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे प्रस्ताव (Resolution) कहते हैं अर्थात स्वीकृत सुझाव को ही प्रस्ताव कहते हैं ऐसा सुझाव उसी रूप में या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार किया जा सकता है।

प्रस्ताव के भेद या प्रकार

⇒ साधारण प्रस्ताव

साधारण प्रस्ताव से आशय ऐसे प्रस्ताव से है जो कम्पनी की साधारण सभा में साधारण बहुमत से पारित किया जाता है इसके विपरीत यदि विपक्ष में आये हुए मत, पक्ष में आये हुए मतों से अधिक होते हैं

विशेषताएँ

→ सूक्ष्म नाम के ही अनुरूप संक्षिप्त व स्पष्ट होनी चाहिए
→ सूक्ष्म सभा की कार्यवाही का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करे।
→ सूक्ष्म निष्पक्ष रूप से लिखी एवं स्पष्ट होना चाहिए
→ सूक्ष्म निष्पक्ष रूप से लिखी एवं निर्णय वाचित हो।

अन्तर	साधारण प्रस्ताव	विशेष प्रस्ताव
प्रकृति	साधारण प्रस्ताव सामान्यतः नीतिक प्रकृति के होते हैं	विशेष प्रस्ताव विशिष्ट कार्यों को करने के लिए पारित किये जाते हैं
आवश्यक बहुमत	साधारण प्रस्ताव को पारित करने के लिये बहुमत की आवश्यकता होती है	विशेष प्रस्ताव को पारित करने के लिए 3/4 मतों की आवश्यकता होती है।
सभा की सूचना में उल्लेख	साधारण प्रस्ताव का सभा की सूचना में उल्लेख करना आवश्यक नहीं है	विशेष प्रस्ताव का सभा की सूचना में उल्लेख करना आवश्यक है
पंजीयन	कम्पनी रजिस्ट्रार के पास साधारण प्रस्ताव का पंजीयन कराना आवश्यक नहीं है	विशेष प्रस्ताव पारित होने के 30 दिन के अन्दर उसका कम्पनी रजिस्ट्रार के पास पंजीयन करना आवश्यक है
निर्णायक मत का प्रयोग	साधारण प्रस्ताव पर अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है	विशेष प्रस्ताव पर अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग नहीं कर सकता है

सूक्ष्म की परिभाषाएँ

एफ.एन. बार के अनुसार "सूक्ष्म एक ऐसा लिखित अभिलेख है जिससे अंशधारियों की सभा अथवा संचालक मण्डल की सभा में की गई कार्यवाहियों विचार किये गये विषयों तथा सभा द्वारा उन पर किये गये निर्णयों का सही एवं ठीक विवेचन होता है

पामर के अनुसार, "सूक्ष्म किसी सभा में किये गये कार्यों का लिखित अभिलेख है।"

शौच के अनुसार, "सूक्ष्म किसी सभा की कार्यवाहियों एवं निर्णयों के अधिकृत अभिलेख है"

Unit- 5 कम्पनी का समापन (Winding up of Company)

अर्थ →

कम्पनी के समापन का आशय एक ऐसी कार्यवाही से है जिसमें कम्पनी का व्यापार बन्द कर दिया जाता है और उसकी सम्पत्तियों को बेचकर लेनदारों का भुगतान करने के बाद यदि कुछ शेष बचता है तो उसे कम्पनी के अन्तर्नियमों की व्यवस्था के अनुसार अंशधारियों में बाँट दिया जाता है यदि कम्पनी के पास समापन के समय इतना धन एकत्र नहीं हो पाता है कि वह सभी लेनदारों का पूरा-पूरा भुगतान कर सके तो ऐसी स्थिति में कम्पनी अपने अंशधारियों से उनके दायित्वों के अनुसार रकम माँगती है

परिभाषा:-

एम० सी० कुच्छल के अनुसार, "कम्पनी के समापन अथवा समाप्ति से आशय उस प्रक्रिया से है जो एक कम्पनी के जीवन का अन्त करती"

कम्पनी के विघटन / समाप्ति से आशय

समाप्ति अथवा विघटन से आशय कम्पनी के अस्तित्व का पूर्णरूपेण अन्त हो जाने से है इस प्रकार कम्पनी का विघटन, समापन की तुलना में एक व्यापक शब्द है जिसमें कम्पनी का समापन भी सम्मिलित है विघटन के पश्चात कम्पनी से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं किया जाता है कम्पनी का विघटन उसी तिथि से हुआ माना जाता है जिस तिथि को विघटन का आदेश निर्गमित किया जाता है।

कम्पनी के समापन की विधियां या रीतियाँ

आधिकरण द्वारा समापन या अनिवार्य समापन; अथवा
स्वेच्छा से या ऐच्छिक समापन -
सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन; अथवा
ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन; अथवा
न्यायालय के निरीक्षण में समापन।

आधिकरण द्वारा समापन या अनिवार्य समापन

विशेष प्रस्ताव द्वारा
वैधानिक सभा बुलाने या वैधानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में त्रुटि होने पर
व्यापार प्रारम्भ न करना या स्थगित रखना
न्यूनतम संख्या से कम सदस्य होने पर
ऋणों का भुगतान भी करने में असमर्थ होने पर
समापन उचित एवं न्यायसंगत होने पर
पाँच वर्षों तक निरन्तर चिट्ठा, लाभ-हानि खाता या वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में त्रुटि करने पर
भारत की सम्प्रभुता, एकता, सुरक्षा आदि के विरुद्ध कार्य करने पर
आधिकरण द्वारा समापन प्रक्रिया का प्रारम्भ

अनिवार्य समापन या आधिकरण द्वारा समापन की विधि

कम्पनी के अनिवार्य समापन के लिए आवेदन पत्र
आधिकार द्वारा आवेदन-पत्र पर विचार
राजपत्र में प्रकाशन
समाचार पत्र में विज्ञापन
वैधानिक सभा बुलाने के लिए आवेदन-पत्र
वैधानिक सभा बुलाने के लिए आवेदन-पत्र

vii समापन रोकने के लिए आवेदन
viii आवेदन पत्र पर सुनवाई
viiii सुनवाई के पश्चात अधिकरण का आवेदन
x निस्तारक की नियुक्ति
xi स्थिति विवरण प्रस्तुत करना
xii निस्तारक द्वारा प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना
xiii कम्पनी के विघटन की घोषणा
xiii विघटन की सूचना रजिस्ट्रार को भेजना

समापन के आदेश का प्रभाव

→ समापन के आदेश की सूचना सरकारी निस्तारक व रजिस्ट्रार को
→ समापन के आदेश की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के पास फाइल करना
→ संचालकों का संकेतित लेखा प्रस्तुत करने का दायित्व
→ कम्पनी के कर्मचारियों की नौकरी समाप्त होना
→ वैधानिक कार्यवाहियों पर रोक

सरकारी / राजकीय निस्तारक

सरल शब्दों में निस्तारक से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो कम्पनी के समापन की कार्यवाही करता हैं यह कम्पनी की सम्पत्तियों से धन वसूल (Realise) करता है तथा उससे ऋणों का भुगतान करता है एवं शेष बचे धन को कम्पनी के कम्पनी सदस्यों में वितरित कर देता है। अतः निस्तारक वह व्यक्ति है जो कम्पनी के समापन की कार्यवाही करता है तथा अधिकरण द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है।

नियुक्ति:- अधिकरण द्वारा कम्पनी के समापन की दशा में एक सरकारी निस्तारक नियुक्त किया जायेगा। ऐसा निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, एडवोकेट्स, कम्पनी सेक्रेटरीज कॉस्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स की पेशेवर फर्मों अथवा इन एवं पेशों की मिली-जुली फर्मों की सूचना में से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकरण के लिए बनायी जायेगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेशेवर व्यक्तियों से युक्त समामेलित संस्था।

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक या अंशकालिक अधिकारी।

नियुक्ति की शर्तें तथा पारिश्रमिक:- सरकारी निस्तारक की नियुक्ति की शर्तें तथा उसको देय पारिश्रमिक निम्नानुसार होंगी:

यदि निस्तारक पेशेवर फर्मों की सूची में से हो या समामेलित संस्था है तो उनके द्वारा प्राप्त किये गये सम्पत्तियों के मूल्य तथा ऋणदाताओं से वसूली गयी ऋण राशि के अधिकतम प्रतिशत के बराबर राशि जो अधिकरण द्वारा अनुमोदित की जाए।

यदि निस्तारक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी है तो उसके द्वारा बनाये गये नियमों के अनुरूप केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित राशि।

अन्य निस्तारकों की नियुक्ति

पारिश्रमिक राशि की वसूली

कार्यवाही एवं कर्तव्य

निस्तारक के सम्बन्ध में अधिकरण की शक्तियाँ

• राजकीय निस्तारक का निस्तारक बनना

कम्पनियों का ऐच्छिक समापन

जब कम्पनी के सदस्य एवं ऋणदाता, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना आपस में मिलकर स्वयं ही कम्पनी को समापन करने में एवं अपने मामलों को पारस्परिक समझौते द्वारा निपटाने के लिये सहमत हो जाते हैं तो ऐसे समापन को कम्पनी का ऐच्छिक समापन कहते हैं।

ऐच्छिक समापन की दशायें

- निर्धारित अवधि का समाप्त होना
- किसी घटना का घटित होना
- विशेष प्रस्ताव पास करना

ऐच्छिक समापन के प्रकार या भेद

I सदस्यों द्वारा ऐच्छिक समापन
लेनदारों या ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक द्वारा समापन

* शोधन क्षमता की घोषणा एवं उक्त घोषणा को कम्पनी रजिस्ट्रार के प्रस्तुत करना
* निस्तारक (समापक) की नियुक्ति
* निस्तारक (की नियुक्ति स्थान की कम्पनी की साधारण सभा में भरना
* ~~निस्तारक के रिक्त स्थान का~~
* निस्तारक की नियुक्ति के साथ ही संचालक-मण्डल के अधिकार समाप्त होना

निस्तारक की नियुक्ति की सूचना रजिस्ट्रार को देना
कम्पनी की सम्पत्तियों की बिक्री के प्रतिफल में अंश आदि लेने का अधिकार
दिवालिया की दशा में निस्तारक के द्वारा लेनदारों की सभा बुलाना
प्रत्येक वर्ष के अन्त में साधारण सभा बुलाना
अन्तिम सभा बुलाना और सरकारी निस्तारक एवं रजिस्ट्रार को समापन खाते की प्रतिलिपि एवं विवरण भेजना
रजिस्ट्रार द्वारा विवरणों की रजिस्ट्री करना
सरकारी निस्तारक द्वारा जाँच करना और न्यायालय को रिपोर्ट देना
विघटन का आदेश देना
लेनदारों या ऋणदाताओं द्वारा ऐच्छिक समापन (धारा 500-509)

महत्वपूर्ण प्रावधान

लेनदारों की सभा बुलाना
सभा का नोटिस
सभा में स्थिति विवरण रखना
सभा में पास हुए प्रस्ताव की सूचना रजिस्ट्रार को देना
निस्तारक की नियुक्ति
निरीक्षण समिति की नियुक्ति
निस्तारक का पारिश्रमिक
निस्तारक की नियुक्ति पर संचालक मण्डल के अधिकारों का अन्त होना
निस्तारक के रिक्त स्थान की पूर्ति करना
प्रत्येक वर्ष के अन्त में निस्तारक द्वारा अंशधारियों व लेनदारों की सभाएँ बुलाना
~~अन्तिम~~ अन्तिम सभा करना
रजिस्ट्रार तथा सरकारी निस्तारक को ~~सूच~~ सूचना
सरकारी द्वारा निस्तारक द्वारा जाँच-पड़ताल करना

न्यायालय के निरीक्षण में समापन

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 522 के अनुसार जब स्वेच्छा से होने वाला समापन न्यायालय के निरीक्षण में होता है तो उसे न्यायालय के निरीक्षण में होने वाला समापन कहा जाता है

न्यायालय के निरीक्षण में समापन की दशायें

(i) निस्तारक द्वारा पक्षपात करने अथवा न्यायालय की अवहेलना करने पर
(ii) अन्तर्नियम के समापन के नियमों का उल्लंघन करने पर
(iii) निस्तारक द्वारा सम्पत्तियों की व्यवस्था में लापरवाही या देरी करने पर
(iv) यदि बहुसंख्यक अंशधारियों ने अल्पमत अंशधारियों के विरुद्ध कपटमय उद्देश्य से प्रेरित होकर समापन का प्रस्ताव पारित किया हो।

न्यायालय के निरीक्षण के समापन के सम्बन्ध में वैधानिक व्यवस्थायें

(i) निरीक्षण के अधीन समापन के लिये आवेदन-पत्र
(ii) निस्तारक को अलग करना और रिक्त स्थान की पूर्ति
(iii) निस्तारक की नियुक्ति
(iv) सरकारी निस्तारक की नियुक्ति
(v) रजिस्ट्रार के आवेदन पर निस्तारक की नियुक्ति या हटाना
(vi) न्यायालय द्वारा नियुक्त निस्तारक के अधिकार और कर्तव्य
vii कम्पनी की समाप्ति

न्यायालय के निरीक्षण के समापन के लाभ

कम्पनी का समापन जब इस विधि से किया जाता है तो इससे कम्पनी के अंशधारी एवं लेनदारों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं-

न्यायालय अल्प अंशधारियों एवं ऋणदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिये कुछ शर्तें एवं नियम बना सकता है निस्तारकों की नियुक्ति पर नियन्त्रण लगाया जा सकता है।
न्यायालय निस्तारकों द्वारा की गई माँगों को पूरा कर सकता है।
कम्पनी के विरुद्ध प्राप्त कुर्कियाँ व्यर्थ एवं अप्रभावशाली हो जाती हैं।
कम्पनी के विरुद्ध चल रही सभी वैधानिक कार्यवाहियाँ स्थगित हो जाती हैं।
न्यायालय के अनिवार्य समापन के सभी अधिकार मिल जाते हैं।